न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा)
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 927–दो/12 विरुद्व आदेश दिनांक 3–1–2012 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील ब्योहारी जिला शहडोल प्रकरण कमांक 170/अ–12/2010–11.

कामता सिंह पिता वृन्दावन सिंह बरगाही
निवासी वार्ड क्रं.–15 ब्योहारी थाना व तहसील ब्योहारी
जिला शहडोल (म.प्र.) —— निगरानीकर्त्ता

विरूद्व

1. देवेन्द्र सिंह पिता मानसिंह बघेल
2. रावेन्द्र सिंह पिता मानसिंह बघेल

निवासीगण ग्राम सूखा थाना व तहसील ब्योहारी
जिला शहडोल (म.प्र.) —— गैरनिगरानीकर्त्तागण

(श्री रमाशंकर सिंह अभिभाषक – आवेदक)

आ दे श

(आज दिनांक 2 अप्रैल ,2015 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील ब्योहारी द्वारा प्रकरण कमांक 170/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 3–1–2012 के विरूद्व म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कामतासिंह द्वारा तहसीलदार ब्योहारी के समक्ष आराजी नं. 377/1ख रकवा 1.619 हैक्टे. के सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु निर्देशित किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन में भूमि पर देवेन्द्र सिंह, रावेन्द्र सिंह पिता मानसिंह का कब्जा बताया तथा यह भी लिखा कि सूचना पत्र पर इनके द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किये गये। तहसीलदार के समक्ष देवेन्द्र सिंह, रावेन्द्र सिंह द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि विचाराधीन भूमि पर उनका कब्जा है। आवदेक का पट्टा विधि–विरुद्ध है जिसके संबंध में कमिश्नर न्यायालय में प्रकरण लंबित है। अतः सीमांकन न किया जाय। तहसीलदार ने दिनांक 1–3–2012 को यह मानते हुए कि विचाराधीन भूमि पर आपत्तिकर्त्ता (अनावेदक) का कब्जा है तथा भूमिस्वामित्व के संबंध में कमिश्नर शहडोल के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः सीमांकन स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। कमिश्नर न्यायालय के प्रकरण का निर्णय होने पर प्रकरण के संबंध में पृथक से आवेदन पेश किया जा सकेगा, इसलिये आवेदक का सीमांकन हेतु आवेदन निरस्त कर दिया। तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 1–3–2012 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।